

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-143

दिनांक: 23/4/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की
बैठक... 15वीं... दिनांक... 19/4/2002 का
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं० 15वीं
दिनांक... 19/4/2002 प्रातः/समय 10:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर
प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...15वीं... बैठक दिनांक 19-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : मोती भवन
2. योजना का नाम : स्कीम नं० 12-सी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या... 15... 7...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60% से अधिक होने के कारण भूखण्ड संख्या 15, 16, 17 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाकर शेष भूखण्डों का अनुमोदन किया जावे ।
2. योजना में सभी आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...15वीं...बैठक दिनांक...19-4-2002

का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : मोती भवन
2. योजना का नाम : योजना नं० 12 जी॥करण॥उद्यान॥
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...१७...७....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना क्षेत्र में से 160 फिट चौड़ी सैक्टर रोड एवं 100 फिट चौड़ी सैक्टर रोड के अन्तर्गत कई भूखण्ड प्रभावित होते हैं। अतः समिति के सैक्टर रोड को यथावत रखते हुए योजना में संशोधन करवाया जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...15वीं... बैठक दिनांक...19-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : वर्धमान नगर - विस्तार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : 473, 476/1, 476/2 ग्राम विजयपुरा
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई प्रस्ताव के अनुसार 40 फिट चौड़ी रखी जावे ।
2. भूखण्ड संख्या 9; 10, 31, 31ए, 32 एवं 33 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।
3. योजना का मास्टर विकास योजना 2011 में भू-उपयोग परिवर्तन इकोलाजिकल आरक्षित है अतः नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जाए ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक...19-4-02....

विषय:- ^{का कार्यवाही विवरण।} बी.जी. नगर को-ओपरेटिव सोसायटी को योजना अर्जिता कॉलोनी के भू.सं. ए-24 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....A.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति के सदस्यों को बताया गया कि प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जीवप्रा/अ.आ./भूमि/2002/डो-451 दिनांक 25-2-02 को गाइड लाइन के अनुसार सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का अधिकार जोनल कमेटी को है । इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि जोनल कमेटी अपने स्तर पर निर्णय करें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 19-4-02.....

का कार्यवाही विवरण।
विषय:- स्वीकृत गौरी नगर को योजना गौरव नगर के भू.सं. 67 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लंबल(जोन संख्या...A...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों को बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में वाद संख्या 6747/94 के निर्णय दिनांक 5-3-2002 में प्रार्थी के पक्ष में फैसला हुआ है। तथा इस भूखण्ड पर मौके पर निर्माण है। इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशों को पालना में गौरव नगर योजना के भूखण्ड संख्या 67 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाए।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 19-4-02

विषय:- ~~केशव नगर~~ का कार्यवाही विवरण। सड़क के पास के भूखण्ड संख्या 62ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....A-1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति ने राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय समझौता समिति जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेशों का अवलोकन किया । समिति के सदस्यों द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 19-4-02...

का कार्यवाही विवरण।
विषय:- दो जयपुर वाल्मीकी ग्रीड नो 0स0स0 को योजना सोताबाड़ी के भू.सं.
31 व 33 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...५....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र को मुक्त करने के सम्बन्ध में नितगत निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक. 19-4-02....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- शिव शक्ति गृह निकासन की योजना जेम विहार के भू.सं. 38, 39, 40 के उप विभाजन अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-4....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति के सदस्यों को बताया गया कि आदेश जे.डो.ए/निदेशक नगर आयोजना/पो.ए./2002/27 दिनांक 6-2-02 के अनुसार स्वीकृत योजनाओं में भूखण्डों के उप विभाजन स्वीकृत करने का अधिकार जोनल कमेटी को है । इसलिए विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि इन भूखण्डों के उप विभाजन के सम्बन्ध में जोनल कमेटी विचार करें ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक.19.4.02.....

का कार्यवाही विवरण।
विषय:- लक्ष्मी गौरी नोसोसो को योजना में पूर्व में बी.पी.सी. को बैठक में
अनुमोदित किये गये निम्न भूखण्डों के क्षेत्रफल में संशोधन करने एवं

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी सुविधा से मुक्त करने बाबत ।
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....&...4....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।
विचार-विमर्श पश्चात् एजेण्डा में दी गई संशोधन करते हुए संशोधित योजना मानचित्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक..19-4-02....

का कार्यवाही वितरण।
विषय:- लक्ष्मी गृह नो 10स0स0 को योजना श्याम कॉलोनी के भूखण्ड सं. 51,
भू.सं. 50 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम- :
2. योजना का नाम- :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-4....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।

विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में निरतिगत निर्णय के पश्चात् इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार- किया जावेगा ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 19-4-02.....

का कार्यवाही विवरण।
विषय:- नव जीवन गृह न0स0स0 को योजना गोपालपुरा "सी" के भू.सं.
20 व 21 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...13-5...) कमेटी की बैठक
दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को
स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के
समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत
एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना
अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के
परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया
गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक {प्रोजेक्ट} द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा
प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा इन
भूखण्डों का मौका निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में
रखे जाने का निर्णय लिया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक. 19-4-02.....

का कार्यवाही विकरण।
विषय:- नागरिक ग्रीड नं० 105, 106 को योजना नागरिक नगर के भू.सं. 105, 106, को सड़क से मुक्त करने एवं भू.सं. 101, 102, 103 व 107 से 110, 110ए को

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या... B-4....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 105 व 106 को सड़क से मुक्त करने के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक {प्रोजेक्ट} द्वारा मौके का स्थल निरोक्षण करने के पश्चात् आगामी बैठक में रहे। भूखण्ड संख्या 101, 102, 103 व 107 से 110, 110ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के पश्चात् इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार- किया जावेगा ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 19-4-02..

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- विवेकानंद नगर गृहिनोसोसो की योजना प्रिन्टर्स नगर के भू.सं. 30, 38, 45, 23 व 39 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...4.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में निर्णित निर्णय देने के पश्चात् इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक..19.4.02....

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- लक्ष्मी गार्डिनोसोसो को योजना श्याम कॉलोनी के भा.सं. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, के मध्य की सड़क को चौड़ाई 30' से 20' करने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेवल(जोन संख्या...B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया ।

समिति के सदस्यों को बताया गया कि इस योजना में इस सड़क के अतिरिक्त सभी सड़कों को चौड़ाई 20' है इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के मध्य की सड़क को चौ० 30'-0" से 20' रखा जावे ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...15वीं... बैठक दिनांक.1.9-4-2002.
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : जय वामुण्डा गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : स्कीम नं. 2 पृथ्वी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...A-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना **बाबत निर्णय लिया गया :-**

प्रकरण में बीपीसी ले-आउट प्लान की बैठक 25-2-02 में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया था कि वृत्ति योजना से विद्याधर नगर की प्रस्तावित 180' चौड़ी सड़क व चौपड़ प्रभावित है अतः मौके की स्थिति के अनुसार जोनल अभियन्ता ए-2 इन सड़कों का अलायनमेंट सुझावे।

जोनल अभियन्ता ने सुझाव दिया है कि इन दोनों सड़कों व चौपड़ को प्लान से विलोपित कर दिया जावे।

समिति ने वाद विचार-विमर्श निर्णय लिया कि प्रश्नगत योजना पृथ्वीनगर व उसके आस-पास के क्षेत्र की योजनाओं जिनसे ये 180' चौड़ी सड़क व चौपड़ प्रभावित होती है, का मौके के अनुसार जोनल अभियन्ता ए-2 से सर्वे करवाकर प्रस्तुत करें ताकि इस क्षेत्र का नया सैक्टर प्लान बनाया जा सके। समिति के समक्ष सैक्टर प्लान के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे उसके पश्चात ही इस क्षेत्र की कालोनियों के नियमन पर विचार किया जाना समीचीन होगा।





कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...15वीं... बैठक दिनांक..19-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : गोविन्द गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : हजरत अली नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जानल लेबल(जोन संख्या...A-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना बाबत निम्नांकित निर्णय लिया गया :-

आवासोप/सुविधा क्षेत्र सड़क सहित का अनुपात 60 : 40 में प्रस्तुत करने हेतु समिति को कहा जाए।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...15वीं... बैठक दिनांक...19-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : भैरव नगर गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : कदम्ब विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...1-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावे ।
2. खोरा बीसल रोड 100' चौड़े के राइट ऑफ वे में आने के कारण दुकान संख्या 1 से 40 अस्वीकृत की गयी ।
3. भूखण्ड संख्या 61, 63, 64 व 70 का कुछ भाग योजना क्षेत्र से बाहर है अतः शेष क्षेत्र का नियमन किया जावे ।
4. जोन द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 88 से 97 को सुविधा क्षेत्र में रखे जाने की स्वीकृति दी गयी ।